न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 17 / 2022

1 दिलीप शर्मा दत्तक पुत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी रेल्वे रेस्ट हाऊस के पीछे चौधरी कॉलोनी ओमनगर वार्ड नम्बर 53 सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मूली देवी पत्नी श्योकरण जाति माली निवासी ढ़ाणी मिश्रावाली तन प्रतापपुरा तन बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

2 अमित कुमार पुत्र चिरंजीलाल।

3 अमित कुमार पुत्र चिरंजीलाल।

4 मनोज कुमार पुत्र बाबुलाल समस्त जाति महाजन निवासीगण बजरंग इलेक्ट्रोनिक्स कपिल मण्डी नीमकाथाना जिला सीकर।

5 ओमप्रकाश पुत्र गजानन्द।

6 दामोदर पुत्र गजानन्द।

7 दिलीप कुमार पुत्र गजानन्द।

8 पुष्पा पत्नी गजानन्द।

9 महेश पुत्र गजानन्द समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

10 उप पंजियक अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।

11 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.09.2021 अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 182/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर शीर्षक मूली देवी बनाम अमित कुमार

उपस्थिति :

1. श्री मामचन्द मूण्ड, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोविन्द सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सुभाष बंसल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः– 5-7-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 182/2020 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादिया मूली देवी पत्नी श्योकरण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात के बाबत एक राजस्व मुकदमा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 184/2020 बउनवानी मूली देवी बनाम अमित कुमार आदि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष दिनांक 28.12.2020को पेश किया था। उपरोक्त वाद संख्या 184/2020 में अपीलांट बतौर प्रतिवादी संख्या 9 पक्षकार संयोजित किया गया था। किन्तु प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही तथा बिना अपीलांट की तामील करवाये ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बाले–बाले तथा बिना किसी प्रकार की साक्ष्य व बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के दिनांक 17.09.2021 को चुनौतीग्रस्त अपीलाधीन वाद में दिनांक निर्णय पारित कर उसी दिन प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौके व रिकार्ड की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया गया है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमती से प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है उभयपक्ष की सहमती को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण इसी स्तर पर रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2023 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 05/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर